

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक—वा0क0अधि0 / यु0पी0ग0 / 337 / 2022, दिनांक::मार्च, 03, 2022

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेश संख्या—188 / 2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा माह—मार्च 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था।

निर्गत कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

क0	बैठने का स्थान	कार्य—आवंटन	कार्य—अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
01	02	03	04	05
1	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ का न्यायालय कक्ष	पीठ—1, 2 व 3 लखनऊ	दिनांक 07.03.2022 एवं दिनांक 08.03.2022	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ व पीठ—2, लखनऊ न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0 / 03.03.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0 / यु0पी0ग0 / 337 / 2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—1/2/3 लखनऊ।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/वैयक्तिक सहायक) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

२

प्रभारी निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।